

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3819

28 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

**स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)
की पेंशन योजना**

3819. श्री संजय सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि दूसरे पीआरसी डी.पी.ई. ओएम सं. 02/70/08-डी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.)- जीएल- XVI/08, दिनांक 26 नवंबर, 2008 और डी.पी.ई. ओ.एम. सं. 02/70/08-डी.पी.ई. (डब्ल्यू. सी.) जी.एल. VII/09, दिनांक 2 अप्रैल, 2009 के अनुसार 9 फरवरी, 2017 को सेल बोर्ड की 439वीं बैठक में सेल की पेंशन योजना मंजूर कर ली गई है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि सभी अन्य महारत्न और कुछ नवरत्न कंपनियों ने 1 जनवरी, 2007 से उक्त पेंशन योजना को लागू कर दिया है; और
- (ग) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2007 से सेल की पेंशन योजना को लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री विष्णु देव साय)

(क): जी हाँ।

(ख): लोक उद्यम विभाग, जो संबंधित नोडल विभाग है, केन्द्रीयकृत आधार पर इस तरह के आंकड़े का रखरखाव नहीं करता है।

(ग): किसी भी सीपीएसई में पेंशन योजना को लागू करना, डीपीई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन होने तथा कंपनी की लाभप्रदता के आधार पर योजना की वहनीयता और निरंतरता जैसे संगत घटकों को पूरा करने पर निर्भर करता है।
